

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक, अधिकासी अभियन्ता मानचित्र सेल लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ। पत्र संख्या: <u>C-198/AM/2021</u> दिनांक <u>08/01/2021</u>	सेवा में, मेसर्स एन0बी0सी0ली0लि0 1/15 सेक्टर-1 गोमती नगर विस्तार लखनऊ।
विषय भूखण्ड संख्या: 1/15 सेक्टर-1 गोमती नगर विस्तार लखनऊ पर स्वीकृत व्यवसायिक भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	

महोदय,

कृपया आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक: 25.01.2021 को निम्नानुसार देय शुल्क जमा करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है-

देय शुल्क-

1. मानचित्र शुल्क Rs.- 586750.00
2. अम्बार शुल्क Rs.- 29300.00
3. निरीक्षण शुल्क Rs.- 68450.00
4. जल व्यय शुल्क Rs.- 11920.00
5. लेबर सेस आर्किटेक्ट द्वारा आगणित निर्माण लागत का 1% पक्ष को जमा करना होगा अथवा श्रम विभाग से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. मैकेनाइज्ड पार्किंग हेतु बैंक गारण्टी के रूप में सिंडीकेट बैंक लोधी रोड नई दिल्ली द्वारा निर्गत विकास केश सार्टिफिकेट दि० 13.1.2016 को नवीनीकरण कराते हुए वैधता तिथि 14.12.2023 तक कराकर प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित कुल देय धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कर चालान की मूल/सत्यापित प्रति एवं वांछित अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पत्र प्राप्ति से एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मानचित्र की वैधता अवधि आगामी तीन वर्ष हेतु बढ़ायी जा सके।

भवदीय,


अधिकासी अभियन्ता
मानचित्र सेल